

आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करता था जोधपुर का जीशान, जांच में खुलासा

पूछताछ में सामने आया कि जीशान अपने हैंडलर के इशारे पर नए लड़कों को भर्ती करने के लिए जिम्मेदारी संभालता था

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में आंध्रप्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी जीशान (19) से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। वह आतंकी संगठन आईएसआईएसआई से जुड़ा हुआ था। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि वो अपने हैंडलर के इशारे पर नए लड़कों को में भर्ती करने के लिए जिम्मेदारी संभालता था। इसके लिए नए और कट्टरपंथी सोच रखने वाले युवाओं को आईएसआईएस भर्ती करवाने के लिए ब्रेन वॉश करता था। उन्हें बताया था कि शरिया ही सब कुछ है। पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है। इसके लिए उन्हें उकसाने वाले वीडियो और कंटेंट भेजता था।

खुफिया एजेंसियों को शक है

कि जीशान को इसके लिए फंडिंग भी मिलती थी, जिसके चलते वो नए लड़कों को भर्ती किया करता था। जांच में पता चला कि वह एक ग्रुप का एडमिन था, जिसमें वह कट्टरपंथी विचारधारा वाले शॉर्ट वीडियो और वॉइस नोट्स अपलोड करता था। आतंकी के मोबाइल की जांच में सामने आया कि वो नए लड़कों को आईएसआईएस की आतंकी जिहाद की विचारधारा से जोड़ना चाहता था। इसके लिए उनका ब्रेन वॉश करता। उन्हें भारत सहित पूरे विश्व में शरिया स्थापित करने के लिए दुष्प्रेरित करता था। इसके लिए वो सोशल साइट का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि जब बोते दिनों विजयवाड़ा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी को

- खुफिया एजेंसियों को शक है कि जीशान को इसके लिए फंडिंग भी मिलती थी, जिसके चलते वो नए लड़कों को भर्ती किया करता था**
- लड़कों को बताता था कि शरिया ही सब कुछ है, पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है, इसके लिए उन्हें उकसाने वाले वीडियो ओर कंटेंट भेजता था**
- पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये लोग भारत में आईएसआईएस के झंडे तले किसी बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए तो षड्यंत्र नहीं कर रहे थे**

पकड़ा गया तो आरोपी ने सोशल ग्रुप को लेफ्ट कर दिया था। उसने अपने मोबाइल से डेटा भी डिलीट कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे

रिकवर कर लिया।

सूत्रों के मुताबिक आतंकी के संपर्क में आए लोगों को भी संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया

महिला ने घर में आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निंस्)। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पगावा गांव में एक महिला ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। महिला के पीहर पक्ष ने उसकी मौत पर संदेह बताया है और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पगारा गांव निवासी रमेश परमार की शादी वर्ष 2007 में पाकरोन गांव निवासी निर्मला ननोमा से हुई थी। इनके 5 बच्चे हैं। निर्मला ने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मोर्चरी में सूचना मिलने पर महिला का पीहर पक्ष भी पहुंचा। पीहर पक्ष ने निर्मला की मौत पर गंभीर संदेह व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटकया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

आश्रम ट्रस्ट शिकारपुर में आयोजित संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि घोटाले करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा, वे सभी जेल जाएंगे। उन्होंने यहां संत राजाराम महाराज की समाधि के दर्शन किए साथ ही संत दयाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेले का अवलोकन किया। तथा संत राजाराम आश्रम के ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन कर प्रदेश

बिंचावा जिला डीडवाना-कुचामन और प्रीतमपुरी (26) पुत्र ओमपुरी गोस्वामी, निवासी भण्डारी जिला डीडवाना-कुचामन को गिरफ्तार कर मामला दर्ज जांच शुरू की है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे यह खेप कहाँ से लाए थे और इसकी सप्लाई कहाँ की जानी थी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

जा सकता है। इसी को लेकर बुधवार को भी टीम ने दो संदिग्धों से पूछताछ की थी। बाद में उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए।

गौरतलब है कि आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा की पुलिस ने सदर बाजार थाना पुलिस अधिकारी माणक राम विश्‍नोई की सहायता से आतंकी जीशान को मंगलवार रात पकड़ा था। इसके बाद उसे सोजती गेट चौकी लाकर पूछताछ शुरू की गई। आंध्रप्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस के अधिकारी उससे रातभर पूछताछ करते रहे। आतंकी ने भारत में आईएसआईएस को मजबूत करने के लिए उसकी प्रचार-सामग्री को काम में लिया था। आईएसआईएस के शरिया लागू करने के विचारों और

पूर्ववर्ती सरकार ने जोधपुर में काम नहीं करवाए : मुख्यमंत्री भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की

जोधपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जोधपुर में कोई विकास कार्य नहीं करवाए। अब जनता हमसे मांग रही है। राज्य सरकार उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगी। यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर प्रवास के दौरान राजाराम आंजणा

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेशवासियों को रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी**

आश्रम ट्रस्ट शिकारपुर में आयोजित संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घोटाले करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा, वे सभी जेल जाएंगे। उन्होंने यहां संत राजाराम महाराज की समाधि के दर्शन किए साथ ही संत दयाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेले का अवलोकन किया। तथा संत राजाराम आश्रम के ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन कर प्रदेश

सर्राफा व्यापारी की हत्या की निंदा

भरतपुर, (निंस्)। नदबई कस्बे में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात के बाद राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुःखद और चिंताजनक है।मंत्री बेड़म ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने स्वयं भी अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय विधायक जगत सिंह भी रत में ही मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार 10 जून 2024 को एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला जिले के एक थाने में दर्ज किया गया जिसमें जांच अधिकारी ने अनुसंधान कर 1 मार्च 2025 को आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी धीूसू लाल उर्फ बबलू (21) पुत्र बकसू बैरवा को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय ने प्रकरण की त्वरित सुनवाई कर निर्णय सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता की उम्र को प्रमाणित नहीं माना और प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बयानों से पाया कि पीड़िता अभियुक्त के साथ चार-पांच महीने स्वेच्छा के साथ रही और इस बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित

के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये है। वहीं कलेक्टर देवेन्द्र कुमार के निर्देश के बावजूद जिला चिकित्सालय के पीएमओ मौके पर नहीं पहुंचे।इधर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मौके पर प्रशासनिक एवं चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी नहीं पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस प्रकार की घटना आये दिन होती रहती है, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने बताया कि तीन दिन पूर्व भी ऐसी ही घटना हुई थी, उसे भी कमरे में ले गये तथा उसके साथ मारपीट की। चिकित्साकर्मियों द्वारा राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कराने की धमकी दी जाती है।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

राजसमंद में अवैध अफीम की खेती पकड़ी

- गोभी और प्याज की फसल के बीच छिपाकर अफीम के पौधे लगे मिले**

राजसमंद, (निंस्)। केलवा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशीले पदार्थों के कारोबार में लगी लोगों में हड़कंप मच गया है।

थानाधिकारी सुबोध कुमार जांगिड़ ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि खेतनामी नारजी वाला बंदा क्षेत्र में एक खेत पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और उक्त स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खेत में पहली नजर में गोभी और प्याज की सामान्य फसल दिखाई दी, लेकिन गहन जांच करने पर इनके बीच छिपाकर अफीम के पौधे लगाए हुए पाए गए। आरोपी द्वारा पुलिस और आमजन की नजरों से बचने के लिए अफीम की खेती को अन्य सब्जियों के बीच छिपाने का प्रयास किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी हीरा लाल पुत्र मोड़ी लाल पालीवाल निवासी केलवा के खेत से करीब 48 अफीम के पौधे बरामद किए। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर अवैध अफीम की फसल को जब्त कर लिया। इसके साथ ही खेत से अन्य जरूरी साक्ष्य भी एकत्रित किए गए, जिन्हें जांच में शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कुछ समय से इस अवैध गतिविधि में संलिप्त था और खेती के माध्यम से मादक पदार्थ तैयार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस अवैध खेती में अन्य लोग भी शामिल हैं या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। यदि जांच में अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सूरतगढ़ : ऑनर किलिंग के दोषी को आजीवन कारावास

युवक के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या की थी, थाने पहुंचकर अपराध स्वीकार किया था

- मृतक रामपाल के आरोपी के छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे घटना से कुछ दिन पहले रामपाल उसे अपने साथ भगा ले गया था**

सूरतगढ़, (निंस्)। ऑनर किलिंग के एक मामले में अपर न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए गुरखार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 450 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक संजय सोहा ने बताया कि यह मामला किशनपुरा ढाणी निवासी रामपाल पुत्र कृष्णलाल जाट की हत्या से जुड़ा है। इस संबंध में 26 मई 2018 को पीड़ित सुभाष पुत्र कृष्णलाल जाट ने सूरतगढ़ शहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के अनुसार मृतक रामपाल के आरोपी के छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे। घटना से कुछ दिन

महिला ने आत्महत्या की

उदयपुर, (निंस्)। गोगुन्दा थाना क्षेत्र में विवाहिता ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में गोगुन्दा थाना क्षेत्र दुलावतों का गुड़ा गांव निवासी पनकी (30) पत्नी किशन गमेती ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर हैंड कांस्टेबल जयसिंह ने पीहर भूतलाल से परिजनों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया।

हादसे में श्रमिक की मौत

उदयपुर, (निंस्)। गोगुन्दा कस्बे में हुए सड़क हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सांय गोगुन्दा थाना क्षेत्र ईसवाल विस्था डीलिंग बिल्डकोम कंपनी के वर्कशॉप पर हुए हादसे में इटावा यूपी निवासी आबिद पुत्र मो. आसिम की मौत हो गई। आबिद हाइवे पर काम करने वाली कंपनी में मैकेनिक था। बुधवार शाम वह कंपनी परिसर में बैठा था। इस दौरान डम्पर की टक्कर से विद्युत पोल उस पर गिर पड़ा। जिससे उसकी मौत हो गई।

दौसा जिला चिकित्सालय में मरीज को कमरे में बंद कर चिकित्साकर्मियों ने पीटा

स्टोन के दर्द का इंजेक्शन लगवाने पहुंचा था, मारपीट में युवक घायल हो गया

दौसा, (निंस्)। श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में गुरवार को मानता एवं चिकित्सक को भगवान का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद शर्मसार घटना सामने आई है। स्टोन के दर्द का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे एक युवक की चिकित्साकर्मियों ने राहत देने के बजाय कमरा बंद कर जमकर धुनाई कर दी, जिसके चलते युवक घायल हो गया। इधर मारपीट की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा अर्थ चेतना अवस्था में कमरे से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार गुरवार को प्रातः साढ़े आठ बजे गुड़लिया निवासी नंदलाल मोणा स्टोन का दर्द होने पर श्री

- कोतवाली पुलिस के मौके पर पहुंचते ही चिकित्साकर्मियों ने खुद के कपड़े फाड़ने शुरू किये**
- जोर-जोर से चिल्लाते हुये युवक नन्दलाल मोणा पर मारपीट कर आरोप लगाना शुरू कर दिया**

रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तथा वहां मौजूद एक चिकित्साकर्म से दर्द का इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई। इस पर चिकित्साकर्म आग बबूला हो गया तथा नन्दलाल मोणा के साथ मारपीट शुरू कर दी। इधर शोर-शराबा सुनकर अन्य चिकित्साकर्मों एवं गाई भी मौके पर पहुंच गये तथा उसे घसीटते हुये

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

अलवर जेल में आधी रात को मोबाइल और गांजा फेंका

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह को सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार को देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अलवर, (निंस्)। अलवर में स्थित केंद्रीय काराग